"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015—भाद्र 6, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश चंपावत, (भा.प्र.से.-2003) पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग एवं संचालक, महिला एवं बाल विकास को संचालक, उद्यानिकी के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, उद्यानिकी का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, उद्यानिकी के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

2. कु. जिनेविया किंडो, (भा.प्र.से.-2004) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद को उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री भुवनेश यादव, (भा.प्र.से.-2006) संयुक्त सचिव, सहकारिता, कृषि विभाग तथा संचालक, उद्यानिकी को संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपता है.

4. श्री टोपेश्वर वर्मा (भा.प्र.से.-2006) आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री जनक प्रसाद पाठक, (भा.प्र.से.-2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदस्थ करता है.

6. सुश्री प्रियंका शुक्ला, (भा.प्र.से.-2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना आजीविका कॉलेज सोसायटी के पद पर पदस्थ करता है.

सुश्री प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से., द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. सुश्री किरण कौशल, (भा.प्र.से.-2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ करता है.

8. श्री समीर विश्नोई, (भा.प्र.से.-2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर को प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पदस्थ करता है.

श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से., द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

9. श्री अवनीश कुमार शरण, (भा.प्र.से.-2009) अपर कलेक्टर, रायपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

10. श्री दीपक सोनी, (भा.प्र.से.-2011) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्री शिव अनंत तायल, (भा.प्र.से.-2012) अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

12. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, (भा.प्र.से.-2012) अनुविभागीय अधिकारी, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

13. श्री रजत बंसल, (भा.प्र.से.-2012) अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर-मोहला, जिला-राजनांदगांव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है.

14. श्री अभिजीत सिंह, (भा.प्र.से.-2012) अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है.

15. श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, (भा.प्र.से.-2012) अनुविभागीय अधिकारी, बगीचा, जिला-जशपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ करता है.

16. श्री विवेकानंद झा, (भा.व.से.-2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर की सेवाएं वन विभाग को वापस लौटाया जाता है.

17. श्रीमती सतोविशा समाजदार, (भा.व.से.-2010) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 7-31/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभय कुमार श्रीवास्तव, वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल को दिनांक 01-08-2015 से 31-08-2015 तक कुल 31 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-01/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. मिश्रा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश 06-06-2015 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 24-06-2015 से 04-07-2015 तक कुल 11 दिवस का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 7-10/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह, भा.व.से., सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25-4-2015 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16-5-2015 से दिनांक 30-8-2015 तक की अर्जित अवकाश में वृद्धि की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 4-119/सात-1/2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 की धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनकी मानीटरिंग करने के लिए, निम्नांकित राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति का गठन किया जाता है :—

(1)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
(8)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सदस्य सचिव

2. उक्त गठित समिति, जब भी आवश्यक हो, बैठक आयोजित कर सकेगी. मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक होने पर, किसी अन्य सदस्य तथा प्रख्यात विशेषज्ञ को नामांकित कर सकेगी.

3. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ-2-46/सात-2/2015.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 14 के उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(5) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि में, एक बार के लिये अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जायेगी."

इस संशोधन को ऐसे पढ़ा जायेगा तथा अर्थ लगाया जायेगा, जैसा कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उइके, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्रमांक-एफ-2-46/सात-2/2015.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उइके, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st August 2015

No. F-2-46/Seven-2/2015.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Junior Administrative Service Recruitment Rules, 1980, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After sub rule (4) of rule 14, the following shall be added, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in these rules, for promotion to the post of Nayab Tahsildar to Tahsildar, the prescribed minimum period of service as mentioned in column (3) of Schedule-IV, shall for once, be relaxable upto maximum 3 years."

This amendment shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHANDRAKANT UIKE, Joint Secretary.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बेमेतरा, तहसील-नवागढ़, वन मण्डल-दुर्ग, वन परिक्षेत्र-बेमेतरा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मारो	22 जुनवानीकला	291	0.61	**उत्तर :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 01 से 07
			186/1	0.44	**दक्षिण :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 24 से 41
			188	0.15	**पूर्व :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 07 से 24
			209	0.85	**पश्चिम :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 41 से 68/1
			238	0.36	
			251	0.49	
			271	0.14	
			273	1.27	
			319	0.13	
			207	1.13	
			233	0.49	
			239	0.30	
			240	0.34	
			246	0.32	
			247	0.37	
			248	0.67	
			249	0.72	
			250	0.48	
			252	0.50	
			266	0.29	
			267/2	0.84	
			268	0.26	
			272	0.99	
			275	1.18	
			274	0.20	
			318	0.10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			185	0.82	
			186/2	0.20	
			187	0.25	
			189	0.11	
			190	0.07	
			191	0.21	
			203	0.86	
			205/2	0.44	
			205/1	0.40	
			206	0.33	
			235	0.19	
			236	0.20	
			237/1	0.36	
			237/2	0.40	
			237/3	0.40	
			280	0.46	
			281	0.72	
			284/1	0.17	
			286	0.21	
			287/2	1.31	
			288	0.37	
			289	0.37	
			296	0.51	
			298	0.40	
			316	1.30	
			287/1	1.30	
			295	0.11	
			317	0.12	
			320	0.15	
			290	1.13	
			294	0.37	
			299	0.96	
			300	0.31	
			313	0.23	
			312	0.29	
			315	0.40	
			293	0.31	
			234	0.62	
			276	0.88	
			284/2	0.20	
			285	0.26	
		योग		**32.32**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appointes the Sub Divisional office (Revenue), Bemetara Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Bemetara, Tehsil-Navagarh, Forest Division-Durg, Forest Range-Bemetara.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Maro	22 Junvanikala	291	0.61	**North :** Boundary Line permanent Pillar No. 01 to 07.
			186/1	0.44	
			188	0.15	**South :** Boundary Line permanent Pillar No. 24 to 41.
			209	0.85	
			238	0.36	**East :** Boundary Line permanent Pillar No. 07 to 24.
			251	0.49	
			271	0.14	**West :** Boundary Line permanent Pillar No. 41 to 68/1.
			273	1.27	
			319	0.13	
			207	1.13	
			233	0.49	
			239	0.30	
			240	0.34	
			246	0.32	
			247	0.37	
			248	0.67	
			249	0.72	
			250	0.48	
			252	0.50	
			266	0.29	
			267/2	0.84	
			268	0.26	
			272	0.99	
			275	1.18	
			274	0.20	
			318	0.10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			185	0.82	
			186/2	0.20	
			187	0.25	
			189	0.11	
			190	0.07	
			191	0.21	
			203	0.86	
			205/2	0.44	
			205/1	0.40	
			206	0.33	
			235	0.19	
			236	0.20	
			237/1	0.36	
			237/2	0.40	
			237/3	0.40	
			280	0.46	
			281	0.72	
			284/1	0.17	
			286	0.21	
			287/2	1.31	
			288	0.37	
			289	0.37	
			296	0.51	
			298	0.40	
			316	1.30	
			287/1	1.30	
			295	0.11	
			317	0.12	
			320	0.15	
			290	1.13	
			294	0.37	
			299	0.96	
			300	0.31	
			313	0.23	
			312	0.29	
			315	0.40	
			293	0.31	
			234	0.62	
			276	0.88	
			284/2	0.20	
			285	0.26	
			Total	**32.32**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन

के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बेमेतरा, तहसील-नवागढ़, वन मण्डल-दुर्ग, वन परिक्षेत्र-बेमेतरा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बेमेतरा	38 उसलापुर	2	0.42	**उत्तर :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 01 से 14
			4	0.12	**दक्षिण :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 51 से 73
			5	0.37	**पूर्व :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 14 से 51
			7	0.91	**पश्चिम :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 73 से 109/1
			8	0.58	
			9	0.51	
			10/2	0.59	
			11	0.36	
			12/1	0.34	
			12/2	0.34	
			12/3	0.33	
			15	1.05	
			32	0.97	
			37	0.34	
			39	0.09	
			41	0.38	
			44/2	1.27	
			44/1	0.63	
			51	0.50	
			58/1	0.56	
			60	0.08	
			62	0.43	
			63	0.06	
			66	1.28	
			67	0.39	
			68	0.76	
			69	0.76	
			70	0.60	
			72	0.45	
			73	0.40	
			74	0.50	
			75/1	0.40	
			77/1	0.10	
			77/2	0.10	
			78/1	0.21	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			78/2	0.42	
			78/3	0.21	
			78/4	0.42	
			80/1	2.27	
			83	0.41	
			84	0.98	
			85	0.61	
			86	0.53	
			93/1	0.40	
			94	0.48	
			95	0.35	
			98/2	0.36	
			116/2	0.37	
			130	0.66	
			132	0.17	
			133	0.51	
			42	0.42	
			49	0.23	
			57	0.06	
			58/2	0.50	
			76	0.21	
			92	1.23	
			93/2	0.33	
			40	0.10	
			14/1	0.50	
			16	1.25	
			79/2	0.76	
			80/2	0.60	
			52	0.43	
			123	0.45	
			79/1	0.95	
			124/1	0.50	
			10/1	0.62	
			48	0.08	
			99/2	0.22	
			38	0.29	
			75/2	0.62	
			75/3	0.63	
			116/1	0.78	
			कुल	**38.09**	
	बेमेतरा	20 बिरमपुर	495/1	0.37	
			477	0.53	
			476	0.48	
			494/2	0.26	
			489/2	0.08	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			328/1	0.38	
			490	0.10	
			486	0.16	
			453	0.32	
			484	0.16	
			489/1	0.09	
			485	0.55	
			511/2	0.25	
			454	0.33	
			509	0.36	
			487	0.19	
			504	0.54	
			510	0.23	
			480	0.12	
			499	0.30	
			500	0.73	
			501	0.62	
			471	0.24	
			506/1	0.20	
			502	0.18	
			474	0.14	
			503	0.33	
			456	0.19	
			488	0.32	
			482	0.19	
			505	0.31	
			469	0.79	
			493	0.25	
			470	0.30	
			473	0.51	
			475	0.15	
			498	0.75	
			479	0.17	
			508	0.16	
			513	0.18	
			467	0.56	
			481	0.13	
			512	0.09	
			507	0.18	
			483	0.53	
			494/3	0.12	
			511/1	0.09	
			514	1.00	
			494/1	0.06	
			491	0.27	
			472	0.52	
			511/3	0.25	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			506/2	0.20	
			450	2.94	
			492	0.07	
		उप कुल		**19.520**	
		कुल योग		**57.61**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Bemetara Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Bemetara, Tehsil-Navagarh, Forest Division-Durg, Forest Range-Bemetara.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bemetara	38 Uslapur	2	0.42	**North :** Boundary Line permanent Pillar No. 01 to 14.
			4	0.12	
			5	0.37	**South :** Boundary Line permanent Pillar No. 51 to 73.
			7	0.91	
			8	0.58	**East :** Boundary Line permanent Pillar No. 14 to 51.
			9	0.51	
			10/2	0.59	**West :** Boundary Line permanent Pillar No. 73 to 109/1.
			11	0.36	
			12/1	0.34	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			12/2	0.34	
			12/3	0.33	
			15	1.05	
			32	0.97	
			37	0.34	
			39	0.09	
			41	0.38	
			44/2	1.27	
			44/1	0.63	
			51	0.50	
			58/1	0.56	
			60	0.08	
			62	0.43	
			63	0.06	
			66	1.28	
			67	0.39	
			68	0.76	
			69	0.76	
			70	0.60	
			72	0.45	
			73	0.40	
			74	0.50	
			75/1	0.40	
			77/1	0.10	
			77/2	0.10	
			78/1	0.21	
			78/2	0.42	
			78/3	0.21	
			78/4	0.42	
			80/1	2.27	
			83	0.41	
			84	0.98	
			85	0.61	
			86	0.53	
			93/1	0.40	
			94	0.48	
			95	0.35	
			98/2	0.36	
			116/2	0.37	
			130	0.66	
			132	0.17	
			133	0.51	
			42	0.42	
			49	0.23	
			57	0.06	
			58/2	0.50	
			76	0.21	
			92	1.23	
			93/2	0.33	
			40	0.10	
			14/1	0.50	
			16	1.25	
			79/2	0.76	
			80/2	0.60	
			52	0.43	
			123	0.45	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			79/1	0.95	
			124/1	0.50	
			10/1	0.62	
			48	0.08	
			99/2	0.22	
			38	0.29	
			75/2	0.62	
			75/3	0.63	
			116/1	0.78	
		Total		**38.09**	
	Bemetara	20 Birampur	495/1	0.37	
			477	0.53	
			476	0.48	
			494/2	0.26	
			489/2	0.08	
			328/1	0.38	
			490	0.10	
			486	0.16	
			453	0.32	
			484	0.16	
			489/1	0.09	
			485	0.55	
			511/2	0.25	
			454	0.33	
			509	0.36	
			487	0.19	
			504	0.54	
			510	0.23	
			480	0.12	
			499	0.30	
			500	0.73	
			501	0.62	
			471	0.24	
			506/1	0.20	
			502	0.18	
			474	0.14	
			503	0.33	
			456	0.19	
			488	0.32	
			482	0.19	
			505	0.31	
			469	0.79	
			493	0.25	
			470	0.30	
			473	0.51	
			475	0.15	
			498	0.75	
			479	0.17	
			508	0.16	
			513	0.18	
			467	0.56	
			481	0.13	
			512	0.09	
			507	0.18	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			483	0.53	
			494/3	0.12	
			511/1	0.09	
			514	1.00	
			494/1	0.06	
			491	0.27	
			472	0.52	
			511/3	0.25	
			506/2	0.20	
			450	2.94	
			492	0.07	
		Sub Total		**19.520**	
		Grand Total		**57.61**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-राजनांदगांव, तहसील-छुरिया, वन मण्डल-राजनांदगांव, वन परिक्षेत्र-बाघनदी

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रानीपुर खड़खड़ी	69/45 रानीपुर खड़खड़ी	**भाग-1**		**उत्तर :** वनभूमि अस्थाई मुनारा क्र. 34 से 36 एवं 29 तथा 57.
			12/4	2.334	**दक्षिण :** निजी भूमि अस्थाई मुनारा क्र. 42 से 43
			8/19	1.263	**पूर्व :** वनभूमि अस्थाई मुनारा क्र. 30 से 33 एवं 37 से 41.
			8/20	1.077	**पश्चिम :** निजी भूमि अस्थाई मुनारा क्र. 44 से 56
			10/2	1.959	
			10/3	1.959	
			10/4	1.959	
			10/5	7.833	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			11/2	0.691	
			11/3	1.737	
			12/7	4.227	
			27/1	7.329	
			12/8	0.688	
			12/6	0.554	
			भाग-2		
			15/1	3.954	**उत्तर :** निजी भूमि अस्थाई मुनारा क्र. 21 से 26 **दक्षिण :** निजी भूमि अस्थाई मुनारा क्र. 13 **पूर्व :** निजी भूमि अस्थाई मुनारा क्र. 01 से 12 **पश्चिम :** निजी भूमि अस्थाई मुनारा क्र. 17 से 20 एवं 13 से 16.
			15/2	3.954	
			15/3	3.949	
			14/10	0.571	
			14/13	0.656	
			14/14	0.097	
			14/15	0.337	
			14/12	0.490	
			14/7	0.818	
			14/8	1.442	
			5/2	0.280	
			5/7	0.202	
			5/9	0.268	
			5/6	0.222	
			5/10	0.364	
			5/8	0.587	
			14/11	0.603	
		योग		**52.404**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Rajnandgaon Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Rajnandgaon, Tehsil-Chhuria, Forest Division-Rajnandgaon, Forest Range-Baghnadi.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ranipur Kadkhadi	69/45 Ranipur Kadkhadi	**Part-1**		
			12/4	2.334	**North :** Forest Land Temporary Pillar No. 34 to 36 and 29 or 57.
			8/19	1.263	**South :** Private Land Temporary Pillar No. 42 to 43.
			8/20	1.077	**East :** Forest Land Temporary Pillar No. 30 to 33 and 37 to 41.
			10/2	1.959	**West :** Private Land Temporary Pillar No. 44 to 56.
			10/3	1.959	
			10/4	1.959	
			10/5	7.833	
			11/2	0.691	
			11/3	1.737	
			12/7	4.227	
			27/1	7.329	
			12/8	0.688	
			12/6	0.554	
			Part-2		
			15/1	3.954	**North :** Private Land Temporary Pillar No. 21 to 26.
			15/2	3.954	**South :** Private Land Temporary Pillar No. 13.
			15/3	3.949	**East :** Private Land Temporary Pillar No. 01 to 12.
			14/10	0.571	**West :** Private Land Temporary Pillar No. 17 to 20 and 13 to 16.
			14/13	0.656	
			14/14	0.097	
			14/15	0.337	
			14/12	0.490	
			14/7	0.818	
			14/8	1.442	
			5/2	0.280	
			5/7	0.202	
			5/9	0.268	
			5/6	0.222	
			5/10	0.364	
			5/8	0.587	
			14/11	0.603	
		Total		**52.404**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-दुर्ग, तहसील-दुर्ग, वन मण्डल-दुर्ग, वन परिक्षेत्र-दुर्ग

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नंदिनी-खुंदिनी	29 नंदनी-खुंदनी	1410/2	38.39	**उत्तर :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 42 से 32 एवं अस्थाई मुनारा क्र. 31/44 एवं 30/45. **दक्षिण :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 01 से 51 **पूर्व :** सीमा रेखा अस्थाई मुनारा क्र. 30/45 से 14/61 एवं स्थाई मुनारा क्र. 13 से 01. **पश्चिम :** सीमा रेखा स्थाई मुनारा क्र. 51 से 42
			1498	00.40	
			1497	00.40	
			1496	01.77	
			1499/2	00.34	
			1495	00.08	
			1500/2	00.47	
			1494	03.76	
			1484	00.47	
			1485	00.82	
			1483	00.74	
			1486	00.15	
			1487/2	00.35	
			1488	01.04	
			1489	00.06	
			1490/2	00.32	
		योग		**49.56**	
		28 देऊरझाल	383/2	01.27	
			385/2	00.73	
			388/2	12.74	
			391	00.18	
			393/2	00.18	
			392	00.03	
			401/2	00.94	
			402/2	00.45	
			400/2	01.54	
			398/2	00.24	
			390/2	00.15	
		योग		**18.01**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		28 देऊरझाल	400/2	2.00	**उत्तर :** सीमा रेखा अस्थाई मुनारा क्र. 1/69 से 2/70 **दक्षिण :** सीमा रेखा अस्थाई मुनारा क्र. 5/73 से 6/64 **पूर्व :** सीमा रेखा अस्थाई मुनारा क्र. 2/70 से 5/73 **पश्चिम :** सीमा रेखा अस्थाई मुनारा क्र. 6/64 से 1/69
		योग		**2.00**	
		कुल योग		**70.01**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Durg Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Durg, Tehsil-Durg, Forest Division-Durg, Forest Range-Durg

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nandini-Khundini	29 Nandini-Khundini	1410/2 1498 1497 1496 1499/2 1495 1500/2 1494 1484 1485	38.39 00.40 00.40 01.77 00.34 00.08 00.47 03.76 00.47 00.82	**North :** Boundary Line Permanent Pillar No. 42 to 32 Temporary Pillar No. 31/44 to 30/45. **South :** Boundary Line Permanent Pillar No. 01 to 51. **East :** Boundary Line Temporary Pillar No. 30/45 to 14/61 Permanent Pillar No. 13 to 01. **West :** Boundary Line Permanent Pillar No. 51 to 42.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1483	00.74	
			1486	00.15	
			1487/2	00.35	
			1488	01.04	
			1489	00.06	
			1490/2	00.32	
			Total	**49.56**	
		28 Deorjhal	383/2	01.27	
			385/2	00.73	
			388/2	12.74	
			391	00.18	
			393/2	00.18	
			392	00.03	
			401/2	00.94	
			402/2	00.45	
			400/2	01.54	
			398/2	00.24	
			390/2	00.15	
			Total	**18.45**	
		28 Deorjhal	400/2	2.00	**North :** Boundary Line Temporary Pillar No. 1/69 to 2/70. **South :** Boundary Line Temporary Pillar No. 5/73 to 6/64. **East :** Boundary Line Temporary Pillar No. 2/70 to 5/73. **West :** Boundary Line Temporary Pillar No. 6/64 to 1/69.
			Total	**2.00**	
		Grand Total		**70.01**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन

व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-घरघोड़ा, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-घरघोड़ा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बंजारी	19 छोटे गुमड़ा	155/2	10.000	**उत्तर :** चिन्हांकित आरक्षित वन कक्ष के भाग क्र. 418 मुनारा क्र. 14 से 1/1 एवं कृत्रिम लाईन मुनारा क्र. 1/1 से 4. **दक्षिण :** कृत्रिम लाईन मुनारा क्र. 7 से 19/14 **पूर्व :** कृत्रिम लाईन मुनारा क्र. 4 से 7 **पश्चिम :** चिन्हांकित कक्ष के भाग क्र. 418 मुनारा क्र. 19/14 से चिन्हांकित आरक्षित वन मुनारा क्र. 14.
			योग	**10.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the

provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Gharghora, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Gharghora

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Banjari	19 Chotegumada	155/2	10.000	**North :** Body of marked R.F. Compartment No. 418 Pillar No. 14 to 1/1 and Artificial line Pillar No. 1/1 to No. 4. **South :** Artificial Line Pillar No. 7 to 19/14. **East :** Artificial Line Pillar No. 4 to 7 **West :** Body of marked Compartment No. 418 Pillar No. 19/14 to R. F. marked Pillar No. 14.
		Total		**10.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-घरघोड़ा, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-घरघोड़ा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डोकरबुड़ा	21 डोकरबुड़ा	184	15.435	**उत्तर :** कृत्रिम लाईन मुनारा क्र. 1 से 5 **दक्षिण :** कृत्रिम लाईन मुनारा क्र. 16 से 21 **पूर्व :** कृत्रिम लाईन मुनारा क्र. 5 से 16 **पश्चिम :** कृत्रिम लाईन मुनारा क्र. 21 से 29 एवं 29 से 1.
		योग		**15.435**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Gharghoda, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Gharghoda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dokarbuda	21 Dokarbuda	184	15.435	**North :** Artificial Line Pillar No. 1 to 5 **South :** Artificial Line Pillar No. 16 to 21 **East :** Artificial Line Pillar No. 5 to 16 **West :** Artificial Line Pillar No. 21 to 29 and 29 to 1.
		Total		**15.435**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन

व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-घरघोड़ा, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-घरघोड़ा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छोटे गुमड़ा (क)	19 छोटे गुमड़ा	159/1 159/2 159/3	0.685 0.537 0.466	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 5 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 4 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 1
		योग	**3**	**1.688**	
2.	छोटे गुमड़ा (ख)	19 छोटे गुमड़ा	280	0.934	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 4 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 3 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 1
		योग	**1**	**0.934**	
3.	छोटे गुमड़ा (ग)	19 छोटे गुमड़ा	275	0.798	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 5 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 4 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 5 से 1
		योग	**1**	**0.798**	
4.	छोटे गुमड़ा (घ)	19 छोटे गुमड़ा	160	1.983	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 3 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 6 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 4 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 1
		योग	**1**	**1.983**	
5.	छोटे गुमड़ा (ङ)	19 छोटे गुमड़ा	264	0.049	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 4 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 3 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 1
		योग	**1**	**0.049**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	छोटे गुमड़ा (च)	19 छोटे गुमड़ा	271/3 271/6	0.990 0.909	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 5 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 4 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 5 से 8 से 1
		योग	**2**	**1.899**	
7.	छोटे गुमड़ा (छ)	19 छोटे गुमड़ा	296/3 296/4	0.631 0.602	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 6 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 7 से 11 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 7 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 11 से 1
		योग	**2**	**1.233**	
8.	छोटे गुमड़ा (ज)	19 छोटे गुमड़ा	255/2 258/1 G	2.644 0.090	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 6 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 7 से 11 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 7 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 11 से 1
		योग	**2**	**2.734**	
9.	छोटे गुमड़ा (झ)	19 छोटे गुमड़ा	172/1	2.145	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 6 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 3 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 8 एवं 8 से 1.
		योग	**1**	**2.145**	
10.	छोटे गुमड़ा (ञ)	19 छोटे गुमड़ा	167/1	0.684	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 4 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 3 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 1
		योग	**1**	**0.684**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Gharghoda, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Gharghoda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chotegumada (A)	19 Chotegumada	159/1 159/2 159/3	0.685 0.537 0.466	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 5. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 4. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 1.
		Total	**3**	**1.688**	
2.	Chotegumada (B)	19 Chotegumada	280	0.934	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 4. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 3. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 1.
		Total	**1**	**0.934**	
3.	Chotegumada (C)	19 Chotegumada	275	0.798	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 5. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 4. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 1.
		Total	**1**	**0.798**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Chotegumada (D)	19 Chotegumada	160	1.983	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 3. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 6. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 4. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 1.
		Total	**1**	**1.983**	
5.	Chotegumada (E)	19 Chotegumada	264	0.049	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 4. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 3. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 1.
		Total	**1**	**0.049**	
6.	Chotegumada (F)	19 Chotegumada	271/3 271/6	0.990 0.909	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 5. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 4. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 8 to 1.
		Total	**2**	**1.899**	
7.	Chotegumada (G)	19 Chotegumada	296/3 296/4	0.631 0.602	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 6. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 7 to 11. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 7. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 11 to 1.
		Total	**2**	**1.233**	
8.	Chotegumada (H)	19 Chotegumada	255/2 258/1G	2.644 0.090	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 6. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 7 to 11. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 7. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 11 to 1.
		Total	**2**	**2.734**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Chotegumada (I)	19 Chotegumada	172/1	2.145	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 6. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 3. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 8 and 8 to 1.
		Total	**1**	**2.145**	
10.	Chotegumada (J)	19 Chotegumada	167/1	0.684	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 4. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 3. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 1.
		Total	**1**	**0.684**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-घरघोड़ा, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-घरघोड़ा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भेंगारी (ब)	06 भेंगारी	128/1 129/1 129/2 135/1 135/3 135/5	4.638 3.823 0.809 0.445 0.648 0.526	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 5 एवं संरक्षित वन भेंगारी कक्ष क्र. 1253 पी उल्टे क्रम में मुनारा क्र. 14 से 10. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 19 **पूर्व :** संरक्षित वन भेंगारी कक्ष क्र. 1253 पी उल्टे क्रम में मुनारा क्र. 10 से 7.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			135/6	1.517	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 20 से 21 एवं संरक्षित वन चारमार कक्ष क्र. 1264 पी उल्टे क्रम में मुनारा क्र. 40/58 से 37/55.
			135/7	1.164	
			135/8	0.972	
			136/1	0.267	
			146/10	0.809	
			146/9	1.619	
			136/2	0.538	
			136/3	0.267	
			146/14	0.809	
		योग	**15**	**18.851**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Gharghoda, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Gharghoda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bhengari (B)	06 Bhengari	128/1	4.638	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 5 and Protected Forest Bhengari Compartment No. 1253 P Reveres Pillar No. 14 to 10.
			129/1	3.823	
			129/2	0.809	
			135/1	0.445	
			135/3	0.648	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			135/5	0.526	**South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 19.
			135/6	1.517	
			135/7	1.164	**East :** Protected Forest Bhengari Compartment No. 1253 P Reveres Pillar No. 10 to 7.
			135/8	0.972	
			136/1	0.267	
			146/10	0.809	**West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 20 to 21 and Protected Forest Charmar Compartment No. 1264 P Reveres Pillar No. 40/58 to 37/55.
			146/9	1.619	
			136/2	0.538	
			136/3	0.267	
			146/14	0.809	
		Total	**15**	**18.851**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-बरमकेला, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खैराट (क)	51 खैराट	292/1	0.129	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 5
			292/4	0.526	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 21 से 25
			292/7	0.478	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 21
			295	1.169	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 25 से 57 तथा 57 से 1.
			297	0.384	
			298	0.016	
			299	0.065	
			305/1	0.030	
			307/2	1.750	
			292/3	0.125	
			292/6	0.530	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			292/9	0.474	
			292/2	0.125	
			292/8	0.478	
			292/5	0.526	
			326/4	1.619	
			326/2	1.214	
			326/3	1.214	
			302/1	1.214	
			302/6	1.214	
		योग	**20**	**13.180**	
2.	खैराट (ख)	51 खैराट	232/1Kh 232/1G	1.214 1.214	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 4 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 7 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 4 से 5 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 7 से 8 तथा 8 से 1.
		योग	**2**	**2.428**	
		कुल योग		**15.608**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the

provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Baramkela, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Sarangarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Khairat (K)	51 Khairat	292/1	0.129	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 5.
			292/4	0.526	
			292/7	0.478	**South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 21 to 25.
			295	1.169	
			297	0.384	**East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 21.
			298	0.016	
			299	0.065	**West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 25 to 57 and 57 to 1.
			305/1	0.030	
			307/2	1.750	
			292/3	0.125	
			292/6	0.530	
			292/9	0.474	
			292/2	0.125	
			292/8	0.478	
			292/5	0.526	
			326/4	1.619	
			326/2	1.214	
			326/3	1.214	
			302/1	1.214	
			302/6	1.214	
		Total	**20**	**13.180**	
2.	Khairat (KH)	51 Khairat	232/Kh	1.214	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 4.
			232/1G	1.214	**South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 7.
					East : Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 5.
					West : Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 7 to 8 and 8 to 1.
		Total	**2**	**2.428**	
		Grand Total		**15.608**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-खरसिया, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-खरसिया

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	देहजरी	5 देहजरी	13/5	4.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 4 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 3 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 1
		योग	**1**	**4.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the

provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Kharsia, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Kharsia

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dehjari	5 Dehjari	13/5	4.000	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 4. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 3. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 1.
		Total	**1**	**4.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-रायगढ़, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-रायगढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मनुवापाली (क)	21 मनुवापाली	312/6 312/15	0.729 1.589	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 5 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 17 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 5 से 6 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 17 से 1 एवं 1 से 3.
		योग	**2**	**2.318**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	मनुवापाली (ख)	21 मनुवापाली	312/4 312/19	1.647 0.158	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 5 से 6 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 5 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 1
		योग	**2**	**1.805**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Raigarh, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Raigarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Manuvapali (A)	21 Manuvapali	312/6 312/15	0.729 1.589	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 5. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 17. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 6. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 17 to 1 and 1 to 3.
		Total	**2**	**2.318**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Manuvapali (B)	21 Manuvapali	312/4 312/19	1.647 0.158	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 6. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 5. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 1.
		Total	**2**	**1.805**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-तमनार, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-तमनार.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तमनार (क)	38 तमनार	328/6kh 332/3 327/2	0.607 0.882 0.576	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 4 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 7 संरक्षित वनखण्ड केलो का भाग क्र. 679, मुनारा क्र. 31/7. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 6 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 7 से 1
		योग	**3**	**2.065**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	उज्वलपुर (क)	38 उज्जवलपुर	25	0.196	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 4 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 3 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 4 से 1
		योग	**1**	**0.196**	
3.	तमनार (ख)	38 तमनार	328/8 328/9 328/10	1.088 1.619 0.781	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 6 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 7 से 8 संरक्षित वनखण्ड केलो का भाग क्र. 679, मुनारा क्र. 29/5. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 8 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 8 से 10 से 1.
		योग	**3**	**3.488**	
		महायोग		**5.749**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the

provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Tamnar, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Tamnar

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tamnar (A)	38 Tamnar	328/6Kh 332/3 327/2	0.607 0.882 0.576	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No.1 to 4. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 7 Protected Forest Kelo Compartment number 679, Pillar No. 31/7. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 6. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 7 to 1.
		Total	**3**	**2.065**	
2.	Ujjwalpur (A)	38 Ujjwalpur	25	0.196	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No.1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 4. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 3. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 4 to 1.
		Total	**1**	**0.196**	
3.	Tamnar (B)	38 Tamnar	328/8 328/9 328/10	1.088 1.619 0.781	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No.1 to 6. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 7 to 8 Protected Forest Kelo Compartment number 679, Pillar No. 29/5. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 8. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 8 to 10 to 1.
		Total	**3**	**3.488**	
		Grand Total		**5.749**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-घरघोड़ा, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-घरघोड़ा.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डोकरबुड़ा (क)	21 डोकरबुड़ा	171/2	1.012	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2
			175/2	0.594	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 6 से 7
			177/1	3.082	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 6
			177/4	1.214	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 7 से 9 से 1.
		योग	**4**	**5.902**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the

provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Gharghoda, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Gharghoda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dokarbuda (A)	21 Dokarbuda	171/2 175/2 177/1 177/4	1.012 0.594 3.082 1.214	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No.1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 7. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 6. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 7 to 9 to 1.
		Total	**4**	**5.902**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहसपानी	14 सहसपानी	75/1	0.425	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 3 से 5 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 2 से 3 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 5 से 1
		योग	**1**	**0.425**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Sarangarh, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Sarangarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sahaspani	14 Sahaspani	75/1	0.425	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No.1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 3 to 5. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 2 to 3. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 5 to 1.
		Total	**1**	**0.425**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर

किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-घरघोड़ा, वन मण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-घरघोड़ा.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भेंगारी	06 भेंगारी	133/2 134	0.077 3.244	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 1 से 12 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 13 से 21 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 12 से 13 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा सर्वे लाईन मुनारा क्र. 21 से 1
		योग	**2**	**3.321**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as speÕified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the

provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Raigarh, Tehsil-Gharghoda, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Gharghoda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bhengari	06 Bhengari	133/2 134	0.077 3.244	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No.1 to 12. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 13 to 21. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 12 to 13. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 21 to 1.
		Total	**2**	**3.321**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-बिलासपुर, वन मण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-बिलासपुर.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कानन पेण्डारी	प.ह.नं. 26 सकरी	1/2 घ, 1/2 ड, 1/3, 3, 31, 2/1	28.704	**उत्तर :** तखतपुर से बिलासपुर राजमार्ग के समान्तर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 6. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 17 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 6 से 10 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 17 से 22 एवं क्र. 22 से 1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	संबलपुरी	प.ह.नं. 25 संबलपुरी	48, 49, 85/1	38.198	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 8. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 13 से 16 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 8 से 13 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 16 से 26 एवं मुनारा क्र. 26 से 1.
		योग		**66.902**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Bilaspur Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District Bilaspur, Tehsil-Bilaspur, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Bilaspur.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kanan Pendari	P.H.No. 26 Sakri	1/2D, 1/2 E, 1/3, 3, 31, 2/1	28.704	**North :** Takhatpur to Bilaspur State Road Parallel Artificial Boundary line Survey Pillar No. 1 to 6. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 10 to 17. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 6 to 10. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 17 to 22 and Pillar No. 22 to 1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Sambalpuri	P.H.No. 25 Sambalpuri	48, 49, 85/1	38.198	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No.1 to 8. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 13 to 16. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 8 to 13. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 16 to 26 and Pillar No. 26 to 1.
		Total		**66.902**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-कोटा, वन मण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-कोटा.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नवागांव (सल्का)	प.ह.नं. 7 नवागांव (सल्का)	750/2	12.00	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 2 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 7 एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 1114 की सीमा रेखा से मुनारा क्र. 8 एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 1114 की सीमा रेखा. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 2 से अरपा नदी तट एवं अरपा नदी के तट से मुनारा क्र. 3 तथा मुनारा क्र. 3 से मुनारा क्र. 6 एवं अरपा नदी के तट से मुनारा क्र. 7 एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 1114 की सीमा. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्र. 8 एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 1114 की सीमा रेखा से मुनारा क्र. 17 एवं मुनारा क्र. 17 से मुनारा क्र. 1.
		योग		**12.00**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Bilaspur Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Bilaspur, Tehsil-Kota, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Kota.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nawagaon (Salka)	P.H.No. 7 Nawagaon (Salka)	750/2	12.00	**North :** Artificial Boundary Line Pillar No.1 to 2. **South :** Artificial Boundary Line Pillar No. 7 and boundary line of protected forest compartment No. 1114 to pillar No. 8 and boundary line of protected forest compartment No. 1114. **East :** Artificial Boundary Line Pillar No. 2 to bank of Arpa river and bank of Arpa river to pillar No. 3 and pillar No. 3 to pillar No. 6 and bank of Arpa river to pillar No. 7 and boundary of protected forest compartment No. 1114. **West :** Artificial Boundary Line Pillar No. 8 and boundary line of protected forest compartment No 1114 to pillar No. 17 and Pillar No. 17 to pillar No. 1.
		Total		**12.00**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-कोरबा, तहसील-कटघोरा, वन मण्डल-कटघोरा, वन परिक्षेत्र-कटघोरा.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अभयपुर	5 अभयपुर	1/1 34	45.690 48.270	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 3 पूर्व की ओर, 3 से 5 उत्तर की ओर, 5 से 9 पूर्व की ओर. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 14 से 17 पश्चिम की ओर, 17 से 19 दक्षिण की ओर, 19 से 20 पश्चिम की ओर. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 9 से 14 दक्षिण की ओर. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 20 से 21, 21 से 25 उत्तर की ओर, 25 से 26 पश्चिम की ओर, 26 से 27 उत्तर की ओर, 27 से 29 पूर्व की ओर, 29 से 33 उत्तर की ओर, 33 से 35, 35 से 38 पश्चिम की ओर, 38 से 41 दक्षिण की ओर, 41 से 46 पश्चिम की ओर, 46 से 48 दक्षिण की ओर, 48 से 52 पश्चिम की ओर, 52 से 53 एवं 53 से 1 उत्तर की ओर.
		योग		**93.960**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Korba Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba, Tehsil-Katghora, Forest Division-Katghora, Forest Range-Katghora.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Abhaypur	5 Abhaypur	1/1 34	45.690 48.270	**North :** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 1 to 3 towards east, 3 to 5 towards north, 5 to 9 towards east. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 14 to 17 towrards west, 17 to 19 towards south, 19 to 20 towards west. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 9 to 14 towards south. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 20 to 21, 21 to 25 towards north, 25 to 26 towards west, 26 to 27 towards north, 27 to 29 towards east, 29 to 33 towards north, 33 to 35, 35 to 38 towards west, 38 to 41 towards south, 41 to 46 towards west, 46 to 48 towards south, 48 to 52 towards west, 52 to 53 and 53 to 1 towards north.
		Total		**93.960**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन

के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर-चांपा उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-जांजगीर, वन मण्डल-जांजगीर-चांपा, वन परिक्षेत्र-बलौदा.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बसंतपुर	प.ह.नं. 41 बसंतपुर	87/2	28.182	**उत्तर :** मड़वा **दक्षिण :** खोखसा **पूर्व :** बसंतपुर **पश्चिम :** सरखो
2.	बसंतपुर	प.ह.नं. 41 बसंतपुर	257/2	13.617	**उत्तर :** मड़वा **दक्षिण :** खोखसा **पूर्व :** बसंतपुर **पश्चिम :** सरखो
		योग		**41.799**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the

Sub Divisional Officer (Revenue), Janjgir-Champa Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Janjgir-Champa, Tehsil-Janjgir, Forest Division-Janjgir-Champa, Forest Range-Baloda.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Basantpur	P.H. No. 41 Basantpur	87/2	28.182	**North :** Madwa **South :** Khokhasa **East :** Basantpur **West :** Sarnkho
2.	Basantpur	P.H. No. 41 Basantpur	257/2	13.617	**North :** Madwa **South :** Khokhasa **East :** Basantpur **West :** Sarnkho
		Total		**41.799**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बीजापुर, तहसील-भोपालपटनम, वन मण्डल-बीजापुर, वन परिक्षेत्र-मद्देड़.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एलगाण्ड्रा	प.ह.नं. 15 एलगाण्ड्रा	7/10 7/11	2.024 1.676	**उत्तर :** सोमनपल्ली संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्र. पी-1051, पी-1052, पी-1053 से प्रस्तावित क्षेत्र की दक्षिणी सीमा से वन क्षेत्र 1/2 कि.मी. एवं मुनारा क्र. 03 एवं 04.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पूर्व : ग्राम गौरारम एवं प्रस्तावित क्षेत्र से वन क्षेत्र 2 कि.मी. मुनारा क्र. 04 से 06. **दक्षिण :** ग्राम तमलापल्ली, मद्देड़ मुनारा क्र. 06 एवं 01. **पश्चिम :** प्रस्तावित क्षेत्र से ग्राम अंगनपल्ली 3 कि.मी. क्र. 01 से 03.
		योग		**3.70**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Bijapur Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Bijapur, Tehsil-Bhopalpatnam, Forest Division-Bijapur, Forest Range-Maddedh.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Elegandra	P.H. No. 15 Elegandra	7/10 7/11	2.024 1.676	**North :** P. F. Block Somanpalli Comptt No. P-1051, P-1052, P-1053 to South Border Proposed area to Forest area 1/2 km & Pillar No. 03 and 04. **East :** Village Gauraram & Proposed area to Forest area 2 km Pillar No. 04 to 06. **South :** Village Tamlapalli & Maddedh Pillar No. 06 and 01. **West :** Prolosed area to Village Angan-palli 3 km No. 01 to 03.
		Total		**3.70**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर उप खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायपुर, तहसील-कसडोल, वन मण्डल-रायपुर, वन परिक्षेत्र-सोनाखान.

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम, जहां खण्ड अवस्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवस्थिति तथा सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छेछर	प.ह.नं. 11 ग्राम छेछर	2/3	0.51	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 10
			4/2	0.166	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 16 से 21
			13/5	0.034	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 16
			13/6	0.033	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 21 से 24 एवं मुनारा क्र. 1.
			1120/2	0.120	
			168/1	0.877	
			1107	0.332	
			1108	0.299	
			168/3	0.405	
			1133	0.368	
			1074	0.393	
			162/2	0.385	
			164/2	0.371	
			1117/4	0.109	
			1118/4 & 1135/2	0.079	
			1110	0.259	
			1131/1	0.069	
			1131/2	0.142	
		योग		**4.892**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2, दिनांक 22-7-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 22nd July 2015

No. F 7-10/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub Divisional Officer (Revenue), Raipur Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Raipur, Tehsil-Kasdol, Forest Division-Raipur, Forest Range-Sonakhan.

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village, where the Block is situated	Khasara Number	Area (in hectare)	Situation and Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chhechhar	P.H. No. 11 at Village Chhechhar	2/3	0.451	**North :** Artificial boundary line survey Pillar No. 1 to 10.
			4/2	0.166	**South :** Artificial boundary line survey Pillar No. 16 to 21.
			13/5	0.034	**East :** Artificial boundary line survey Pillar No. 10 to 16.
			13/6	0.033	**West :** Artificial boundary line survey Pillar No. 21 to 24 and Pillar No. 1.
			1120/2	0.120	
			168/1	0.877	
			1107	0.332	
			1108	0.299	
			168/3	0.405	
			1133	0.368	
			1074	0.393	
			162/2	0.385	
			164/2	0.371	
			1117/4	0.109	
			1118/4 & 1135/2	0.079	
			1110	0.259	
			1131/1	0.069	
			1131/2	0.142	
		Total		**4.892**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

चिरमिरी, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्रमांक/1105/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	जिल्दा प.ह.नं. 16	50.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, (छ.ग.)	विकासखण्ड खडगवां, जिला कोरिया (छ.ग.) के हुड़िका जलाशय योजना के तहत ग्राम जिल्दा में बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

चिरमिरी, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्रमांक/1107/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	चोपन प.ह.नं. 9	00.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, (छ.ग.)	विकासखण्ड खडगवां, जिला कोरिया (छ.ग.) के हुड़िका जलाशय योजना के तहत ग्राम चोपन में बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

चिरमिरी, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्रमांक/1109/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	कोटेया प.ह.नं. 9	02.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, (छ.ग.)	विकासखण्ड खडगवां, जिला कोरिया (छ.ग.) के हुड़िका जलाशय योजना के तहत ग्राम कोटेया में बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

चिरमिरी, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्रमांक/1111/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	अखराडांड प.ह.नं. 07	01.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, (छ.ग.)	विकासखण्ड खडगवां, जिला कोरिया (छ.ग.) के चिरमिरी जलाशय योजना के तहत ग्राम अखराडांड में बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

चिरमिरी, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्रमांक/1113/वाचक/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	खडगवां	दुबछोला प.ह.नं. 07	03.295	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, (छ.ग.)	विकासखण्ड खडगवां, जिला कोरिया (छ.ग.) के चिरमिरी जलाशय योजना के तहत ग्राम दुबछोला में बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 जुलाई 2015

क्रमांक/3425/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	जंगलेशर प.ह.नं. 25	1.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	धामनसरा - मोहड़ एनीकट कम काजवे के अन्तर्गत बण्डलाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 जुलाई 2015

क्रमांक/3426/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	धामनसरा प.ह.नं. 40	4.448	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	धामनसरा - मोहड़ एनीकट कम काजवे के अन्तर्गत बण्डलाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक/249/अ.वि.अ./भू-अर्जन/15 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद प.ह.नं. 42	0.122	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) निर्माण संभाग महासमुंद.	जिला न्यायालय पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुन्द छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 जुलाई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	उसरौट प.ह.नं. 09	3.894	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	बायंग-रानीगुड़ा-उसरौट कुसमुरा मार्ग पर निर्माणाधीन माण्ड नदी सेतु एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्रमांक/386/प्र.-1/अ.वि.अ./2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	करामाल प.ह.नं. 14	0.17	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.).	रायपुर उरला, पठारीडीह, बेरला, कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 31 जुलाई 2015

क्रमांक/445/प्र.-1/अ.वि.अ./2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	बहेरा प.ह.नं. 28	0.024	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.).	सुरहोली जलाशय.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 31 जुलाई 2015

क्रमांक/447/प्र.-1/अ.वि.अ./2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	हरदी प.ह.नं. 38	0.01	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.).	हरदी भिंभौरी जलाशय निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 31 जुलाई 2015

क्रमांक/449/प्र.-1/अ.वि.अ./2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	कोहडिया प.ह.नं. 40	2.76	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.).	लोर नाला डायवर्सन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 3/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-टांगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/1ख	0.170
47/4	0.162
52/1	0.032
90/3	0.097
89/3	0.012
89/1	0.145
131/5	0.012
80/2	0.206
47/2	0.153
47/7	0.077
78/1	0.113
83/2	0.145
83/4	0.036
90/1	0.129
132/4	0.202
132/1	0.032
47/3	0.153
51	0.117
82	0.109
83/3	0.016

	(1)	(2)
	85/2, 86/1, 88/1, 91/1	0.069
	131/1	0.016
	74/1ग	0.242
	132/3क	0.110
	52/3	0.129
	52/2	0.178
	83/1	0.073
	132/3ख	0.052
	85/1	0.012
	76/1ग	0.085
	79/2	0.105
	47/1	0.340
योग	32	3.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 4/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.781 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	69/1	0.105
	71/3	0.101
	73	0.073
	69/2	0.105
	72/1ख	0.024
	74/2	0.081
	70/1	0.065
	72/1ग	0.117
	71/1	0.061
	72/5	0.049
योग	10	0.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 5/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.994 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148	0.182
214	0.008
208/1	0.004
211/1	0.002

	(1)	(2)
	216/1	0.053
	303	0.097
	310/1	0.012
	147	0.016
	210	0.089
	207	0.142
	208/2	0.101
	215	0.142
	217	0.364
	304/1	0.133
	310/2	0.032
	316/2	0.020
	149/2	0.077
	301	0.004
	209/1	0.109
	142/2ग	0.065
	300	0.004
	305/1	0.061
	150/1	0.024
	152	0.002
	306	0.028
	218/1	0.223
	143/1	0.170
	309	0.162
	307	0.028
	151/1	0.008
	206	0.004
	332	0.097
	209/2	0.069
	149/1	0.049
	218/2	0.182
	308/2	0.109
	304/1	0.053
योग	38	2.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 7/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-सारंगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-ताड़ापाली
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.368 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	64/1क	0.109
	63/7घ	0.109
	63/7ख	0.150
योग	3	0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 8/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बरभांठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.972 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	117/1	0.170
	122/5	0.381
	140/2	0.226
	153/1	0.006
	122/4क	0.212
	138/2	0.111
	141	0.008
	138/1	0.101
	140/1	0.263
	151/2ग	0.093
	177/2	0.073
	151/2घ	0.097
	151/3	0.231
योग	13	1.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 9/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-चिखली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.988 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39, 40/1	0.198
45/2	0.228
109	0.041
121	0.089
128/2	0.202
124/3	0.275
129/3	0.041
106/1	0.254
108/1ख	0.036
119/2	0.141
45/1	0.425
107	0.065
128/1	0.041
130/1	0.101
108/1क	0.166
118	0.081
120	0.208
169/1क	0.016
130/2	0.024
128/3	0.081
110/3ख	0.097
117	0.036
41/1	0.024
46/3	0.218
103/2	0.032
129/2	0.030
129/1	0.024
39, 40/2	0.256
46/2	0.081
110/2ख	0.081
113	0.097
124/2	0.016

	(1)	(2)
	119/1	0.283
योग	33	3.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.378 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	109/1	0.045
	388/1	0.263
	428	0.041
	147/3	0.008
	387/1क	0.081
	147/4	0.138
	148	0.041
	390/1	0.112
	396/4	0.061
	116/1ग	0.069
	114	0.162
	120/1, 121/1ख	0.004
	122/1	0.258
	426/3	0.105
	396/2	0.053
	149/2	0.057
	156/3	0.097
	395	0.218
	396/4ख	0.091
	116/1ख	0.032
	116/2	0.093
	122/2, 123/2	0.032
	123/1	0.081
	147/6	0.121
	396/5	0.065
	149/2ख	0.022
	157/1क	0.004
	388/3	0.024
	445/2	0.016
	390/3	0.061
	119	0.085
	137/1ग, 136/1ग	0.194
	426/2	0.214
	138	0.101
	147/2	0.198
	149/2ग	0.049
	387/1ख	0.012
	390/2	0.101
	427	0.081
	149/1ख	0.162
	139	0.202
	446/1, 445/2	0.020
	135/1ख	0.016
	140/1	0.077
	126/1	0.020
	149/1ग	0.016
	388/2	0.105
	396/1	0.093
	426/4	0.049
	137/1ख, 136/1ख	0.158
योग	49	4.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक 11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खरवानी बड़े
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.195 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	166	0.008
	168	0.122
	187/5	0.097
	274/2क	0.028
	275	0.008
	281/2	0.016
	297/1	0.126
	307	0.085
	169	0.028
	171/2	0.093
	188/2	0.162
	277/1	0.505
	278	0.132
	296/2	0.166
	297/2	0.109
	170	0.020
	186	1.008
	188/1	0.162
	277/2	0.555
	279/3	0.032
	282	0.036
	299/2	0.024
	167	0.077
	190/7	0.020
	280	0.093
	306/1क	0.012
	279/1	0.154
	309	0.041
	308/1क	0.166
	187/1	0.065
	311/1क	0.433
	296/1	0.234
	308/3ख	0.109
	313/1	0.041
	311/1ख	0.212
	308/3क	0.016
योग	36	5.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्रमांक 10472/न.ग्रा.नि./वि.यो. दुर्ग-भिलाई/2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 96 ग्रमों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र, रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 12464/नग्रानि./दुर्ग/वि.यो. दुर्ग-भिलाई/2014 दिनांक 26 नवम्बर 2014, छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 05 सितम्बर 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 96 ग्रामों की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दमोदा, बोरई, पोटिया, सेवती, अंजोरा, ढाबा, डांडेसरा, समोदा, झेंझरी, करंजा, भिलाई, बासीन, अहेरी, बाघडूमर, सेमरिया, ओखरा, मुरमुंदा, अछोटी, बोरसी, कंडरका, सांकरा एवं पंचदेवरी के उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम पंचदेवरी, खपरी, कुम्हारी, मगरघटा, भोथली, अमलेश्वर, खुरमुड़ा, घुघवा एवं जमराव की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम जमराव, महुंदा, कापसी, मोतीपुर, अमलीडीह, अमेरी, औरी, कर्सा, पहडोर, मुड़पार, पतोरा, उतई, पुरई, खम्हरिया, कोड़िया, चन्द्रखुरी, थनौद एवं ग्राम बिरेझर की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बिरेझर, थनौद, अंजोरा, खपरी, रसमड़ा, गनियारी, बोरई, खुरसुल, खुर्सीडीह एवं ग्राम दमोदा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्टोरेट परिसर, दुर्ग (छ.ग.)

No. 10472/T & CP/D.P Durg-Bhilai/2015.—The existing Land Use map and register of additional 96 villages included in Durg-Bhilai Planning area was published in pursuance of sub section (1) of section 15 of C.G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 1973) vide notice No 12464/T & CP/Durg/D.P. Durg-Bhilai/2014, dated 26 November 2014 in Chhattisgarh Rajpatra dated 05 December 2014.

Therefore a noitce is hereby given for the general information of the public that of existing land use map & register of additional 96 villages included in Durg-Bhilai planning Area so prepared under published are duly adopted by the Director, Town & Country planning in pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of the Durg Bhilai Planning Area

NORTH : Village- Damoda, Borai, Potiya, Sevati, Anjora, Dhaba, Dandesara, Samoda, Jhenjhari Karanja Bhilai, Basin, Aheri, Baghadumar, Semariya, Okhara, Murmunda, Achoti, Borsi, Kandarka, Sankara and Panch-devari upto north Boundary.

EAST : Village-Panchdevari, Khapari, Kumhari, Magarghata, Bhothali, Amleshwar, Khurmuda, Ghughawa, and Jamrao upto East Boundary.

SOUTH : Village-Jamrao, Mahunda, Kapsi, Motipur, Amlidih, Ameri, Aouri, Karsa, Pahdor, Mudpar, Patora, Utai, Purai, Khamhariya, Kodiya, Chandkhuri, Thanoud and Birejhar upto South Boundary.

WEST : Village-Birejhar, Thanoud, Anjora, Khapri, Rashmada, Ganiyari, Borai, Khursul, Khursidih and Damoda upto West Boundary.

The said adopted maps & register shall be available for inspection of general public at the following place during office hours, except holidays for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of inspection : Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Collectorate precinct Durg (C.G.)

विनीत नायर
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th July 2015

No. 468/Confdl./2015/II-2-90/2001 (Pt.III).— Shri Shakti Singh Rajput, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional District & Sessions Judge, Saraipali, District Mahasamund is transferred and appointed as Additional Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 24th July 2015

No. 557/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and posted on the post of special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Abdul Zahid Qureshi, Additional District & Sessions Judge.	Katghora	Raipur	Raipur	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.

Bilaspur, the 24th July 2015

No. 559/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following members of Higher Judicial Services, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Thomas Ekka, II Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Katghora	Korba	Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Pankaj Kumar Sinha, II Additional District & Sessions Judge.	Janjgir	Saraipali	Mahasamund	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th July 2015

No. 571/Confdl./2015/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Shivmangal Pandey, Retired District Judge is appointed to the post of Senior Faculty Member, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court on the following terms and conditions from the date he assumes charge of his office :—

1. His tenure of service would be 3 years from the date of appointment.

2. His services shall be terminated at any time during the tenure of 3 years without notice and assigning any reason whatsoever.

3. During the tenure of his service he will be paid salary of District Judge (Selection Grade) as per the formula i.e. last pay minus pension. If the last pay exceeds Rs. 70,290/-, then the last pay shall be treated as Rs. 70,290/-.

4. During the period of service, he shall be entitled for allowances, facilities and amenities, which are available for a serving District & Sessions Judge (Selection Grade).

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.